

न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 चन्देरी जिला-अशोकनगर

(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर-235103001312015

व्यवहार वाद कं.-22ए/2017

संस्थापित दिनांक-01.07.15

1.जयसिंह पुत्र मोतीलाल आयु 52 वर्ष व्यवसाय खेती निवासी ग्राम कुंवरपुर तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)	वादी
विरुद्ध	
1.अधीक्षण अभियंता, राजघाट बौध परियोजना राजघाट (उ0प्र0)	प्रतिवादीगण
2.म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला अशोकनगर (म0प्र0)	
3.वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल जिला अशोकनगर (म0प्र0)	
वादी द्वारा श्री अनिल तिवारी अधिवक्ता । प्रतिवादी गण द्वारा श्री चौवे अधिवक्ता ।	

— / / निर्णय / / —

(आज दिनांक 27.02.2018 को घोषित)

01. वादी ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम कुंवरपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 673 रकवा 1.766 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 690 रकवा 1.735 हेक्टेयर (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जाएगा) पर स्वत्व घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया है।

02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03. वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के अनुसार उक्त विवादित भूमि वादी की पुस्तैनी भूमि है तथा वर्ष 1979 तक राजस्व परिपत्रों में वादी के पिता मोती के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि रही है। वादी ने अपने वादपत्र में अभिवचित किया है कि वर्ष 1989 में उक्त विवादित भूमि राजघाट बांध परियोजना के नाम आ गई थी किंतु उक्त विवादित भूमि का कब्जा कभी भी भौतिकरूप से राजघाट बांध परियोजना ने नहीं लिया तथा वादी का ही कब्जा बना रहा। वादी के अनुसार वन विभाग का उक्त विवादित भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। वादी के अनुसार राजघाट बांध परियोजना द्वारा वन विभाग को मात्र स्वत्व का अंतरण विधि अनुसार किया गया है तथा कब्जे का अंतरण नहीं किया गया है तथा विवादित भूमि पर कब्जा रखने का अधिकार वादी का है। अतः उपरोक्त आधारों पर वादी ने इस आशय की डिक्री चाही है कि उसे उक्त विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

04. उक्त वादपत्र के जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वादपत्र में किए गए अभिवचनों को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादी द्वारा गलत आधारों पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार उक्त विवादित भूमि के संबंध में वादी के पिता क्षतिधन, अधिग्रहण बावत प्रदान किया गया है तथा उक्त विवादित भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की गई है। प्रतिवादीगण के अनुसार प्रदूषण रोकने के लिए वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया गया है तथा उक्त भूमि वन विभाग के स्वत्व की भूमि है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादी विवादित भूमि पर अतिक्रमण करना चाहता है, और इस संबंध में वादी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी पंजीबद्ध कराई गई है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वादपत्र को अस्वीकार कर निरस्त करने का

अभिवचन किया गया है।

05. वादी एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद प्रश्न की विरचना की हैं, जिनके आगे इस न्यायालय के सकारण निष्कर्ष निम्नवत है :-

क्रं.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या ग्राम कुंवरपुर, तहसील चंदेरी स्थित सर्वे क्रमांक 673 रकवा 1.766 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 690 रकवा 1.735 हेक्टेयर भूमि पर वादी का लंबे समय से कब्जा चला आ रहा है ?	नहीं
02.	क्या प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि पर अवैधरूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं ?	नहीं
03.	क्या वादी उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?	नहीं
04.	सहायता एवं व्यय ?	“निर्णयानुसार वादी का वाद अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया गया।”

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06. वादी ने अपने वाद के समर्थन में वा.सा. 01 जयसिंह, वा.सा.2 हनुमंतसिंह, वा.सा.3 सोनसिंह की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है और साथ ही प्र0पी01 लगायत प्र0पी012 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं। प्रतिवादीगण

की ओर से प्र.सा. 01 अनिल कुमार, प्र.सा.2 चंद्रवीर की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से प्र0डी01 लगायत प्र0डी06 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं।

07. प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है एवं वाद प्रश्न क्रमांक 04 का निराकरण पृथक-पृथक से किया जा रहा है।

—:: वादप्रश्न क्र. 01 लगायत 03 ::—

08. वा.सा. 01 जयसिंह ने अपने कथन में बताया है कि उक्त विवादित भूमि उनकी पुस्तैनी भूमि है तथा विवादित भूमि पर वे दादा के समय से खेती कर रहे हैं। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त विवादित भूमि राजघाट बांध के नाम पर कागजों में दर्ज हो गई किंतु राजघाट बांध ने कभी कब्जा नहीं लिया तथा उनका ही विवादित भूमि पर कब्जा बना रहा है। उक्त साक्षी के अनुसार वन विभाग का विवादित भूमि पर भौतिक रूप से कभी कोई कब्जा नहीं रहा है तथा वन विभाग जबरन विवादित भूमि पर कब्जा करना चाहता है। वा.सा.2 हनुमंतसिंह एवं वा.सा.3 सोनसिंह दोनों ने एक समान मुख्य परीक्षण में कथन किया है तथा उनके अनुसार उक्त विवादित भूमि पर वादी का कब्जा है। दोनों साक्षीगण के अनुसार दावा वाली जमीन पर वन विभाग का कब्जा नहीं है एवं वादी ही उस पर खेती कर रहा है। वा.स.2 एवं वा.सा.3 के अनुसार वृक्षारोपण कराने की आड़ में वन विभाग विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है।

09. वा.सा.1 जयसिंह के अनुसार उसे जानकारी नहीं है कि विवादित सर्वे क्रमांक राजघाट बांध डूब में आई थी या नहीं। उक्त साक्षी के अनुसार उसे

जानकारी नहीं है कि उक्त विवादित भूमि राजघाट बांध ने वन विभाग को दी है। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उक्त विवादित भूमि शासकीय है जिसके कुछ भाग पर उसका अतिक्रमण है। वा.सा.2 के अनुसार उसे जानकारी नहीं है कि वह किस सर्वे नंबर के वयान देने आया है। वा.सा.3 के अनुसार उसे जानकारी नहीं है कि उक्त विवादित भूमि सरकारी कागजों में किसके नाम पर दर्ज है।

10. प्र.सा.1 अनिल कुमार ने अपने कथन में बताया है कि उक्त दोनों सर्वे नंबर को उनके विभाग ने वन विभाग को दे दिया था। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त विवादित भूमि पर वन विभाग का कब्जा है। प्र.सा.2 चंद्रवीर के अनुसार उक्त विवादित भूमि वन विभाग की भूमि है जो उन्हें तहसीलदार चंदेरी के आदेश से प्राप्त हुई थी। उक्त साक्षी के अनुसार विवादित भूमि पर वर्ष 1997 में वृक्षारोपण किया गया था तथा वादी ने विवादित भूमि पर वृक्षों को नष्ट कर अतिक्रमण कर लिया था जिसके संबंध में उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि अतिक्रमण की आड़ में वे विवादित भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं।

11. इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से जो उपरोक्त मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। उसके अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि प्रतिवादी साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से अपने कथन में कहा है कि उक्त विवादित भूमि वन विभाग की भूमि है। वादी की ओर से प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी वा.सा.2 एवं वा.सा.3 की साक्ष्य पर पूर्ण रूप से विश्वास करने का पर्याप्त आधार नहीं है। ऐसा इसलिये भी है क्योंकि वा.सा.2 एवं वा.सा.3 दोनों ने स्पष्ट रूप से अपने कथन में बताया है कि उन्हें विवादित सर्वे नंबरों की जानकारी नहीं है। वा.सा.2 ने ऐसा कथन किया है वह किस जमीन का वयान देने आया है इसकी जानकारी उसे नहीं है। इसी प्रकार वा.सा.3 के अनुसार सरकारी कागजों में उक्त भूमि किसके

नाम पर दर्ज है वह नहीं बता सकता। ऐसी स्थिति में जबकि वा.सा.2 एवं वा.सा.3 को भूमियों के विषय में ही सही जानकारी न होना प्रकट हो रहा है, यह स्पष्ट है कि वा.सा.2 एवं वा.सा.3 की साक्ष्य पर विश्वास करने का कोई पर्याप्त आधार प्रकरण में विद्यमान नहीं है।

12. जहां तक वा.सा.1 की साक्ष्य का प्रश्न है तो उक्त साक्षी ने अपने वादपत्र के अनुसार कथन किया है किंतु अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उक्त विवादित भूमि शासकीय भूमि है जिसके कुछ भाग पर उसका अतिक्रमण है। यह स्पष्ट है कि वादी स्वयं अपनी साक्ष्य में इस तथ्य को स्पष्ट कर रहा है कि उक्त विवादित भूमि उसके स्वत्व की भूमि नहीं है तथा उसके द्वारा उक्त विवादित भूमि के किस भाग पर अतिक्रमण किया गया है। वादी ने जो दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किये हैं उनके सिचाई विल प्र0पी01 लगायत प्र0पी05 है जो कि अलग-अलग वर्षों से संबंधित है। प्र0पी07 का दस्तावेज वादी को दिया गया नोटिस है तथा प्र0पी08 वन मंडल अधिकारी द्वारा जारी आदेश जिसमें वादी को विवादित भूमि खाली करने के लिए नोटिस दिया गया। प्र0पी06 का पंचनामा जिसके द्वारा बनाया गया है उससे उक्त पंचनामा प्रमाणित नहीं किया गया है। उपरोक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त वादी ने प्र0पी012 की बही प्रस्तुत की है जिसको देखकर यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त बही किस वर्ष की है। उल्लेखनीय है कि उक्त बही पर किसी सक्षम अधिकारी की सील आदि भी अंकित नहीं है।

13. उपरोक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज वादी द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि वादी ने जो उपरोक्त दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किये हैं उनमें से एक भी दस्तावेज से यह प्रमाणित नहीं हो रहा है कि वादी का उक्त विवादित भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। उल्लेखनीय है कि वादी की ओर से एक भी दस्तावेज राजस्व न्यायालय का

प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें कि वादी का विवादित भूमि पर कब्जा दर्ज होना दर्शित होता हो, यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि वादी स्वयं इस तथ्य को स्वीकार कर रहा है कि उक्त विवादित भूमि शासकीय भूमि है तथा उसका उस पर अतिक्रमण है, ऐसी दशा में यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता कि प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि पर अवैद्य रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि उक्त विवादित भूमि पर न तो वादी का स्वत्व प्रमाणित है और न ही कब्जा प्रमाणित है, ऐसी दशा में वादी उक्त विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 नकारात्मक निर्णीत किए जाते हैं।

—:: वादप्रश्न क्रं.—04 ::—

14. साक्ष्य एवं विधि के उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादी अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः वादी का वाद अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया जाता है।

15. वाद का संपूर्ण व्यय वादी द्वारा वहन किया जाएगा एवं अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो देय होगी।

उपरोक्तानुसार जयपत्र की रचना की जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(ज़फ़र इकबाल)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1
चंदेरी, जिला अशोकनगर

(ज़फ़र इकबाल)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1
चंदेरी, जिला अशोकनगर